

फर्द अहकाम
(नियम 15)

2024/360

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर जिला हनुमानगढ
बुधराम बनाम काशीराम आदि

वाद अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.एक्ट

प्रकरण संख्या 27 वर्ष 2024

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामिल में जारी हुये
20.06.2024	<p>वकील वादी द्वारा यह वाद पत्र पेश किया गया। बाद कार्यालय टिप्पणी के बाद वादी दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सामान्य व रजिस्टर्ड सम्मन से तल्ब किया जाकर पत्रावली आईन्दा 24.06.2024 को पेश हो।</p>	
24.6.2024	<p>कुलार् ए.एस.के.न. उपास्थत/PU साइड अफवाइल पत्रावली 24.6.2024 गस्त 24.6.2024 दिनक 12.00.2024 क पेश हो</p>	
02.7.2024	<p>कुलार् ए.एस.के.न. उपास्थत/PU साइड अफवाइल क 1/2 उने हासिल अकाउन्ट अफवाइल राखी नामा पेश किया गिसे कड लकीड शामिल फाइल किया गया पत्रावली गस्तले स्टेट अफवाइल अर्किड लकीड 0.7.2024 को पेश हो।</p>	<p>बुधराम काशीराम जिला</p>
0.7.2024	<p>कुलार् ए.एस.के.न. उपास्थत/PU साइड अफवाइल पत्रावली 0.7.2024 गस्त 0.7.2024 दिनक 12.00.2024 क पेश हो</p>	<p>1 by me 0.7.2024 3. by me</p>
13.0.2024	<p>कुलार् ए.एस.के.न. उपास्थत/PU साइड अफवाइल कड सुनी गरी पत्रावली का अपलोड अफवाइल पत्रावली पर उपलब्ध रेकर्ड व गरी पत्रावली के राखी नामा के आझाट पर बाद गरी डिक्ली किया जाता है। पूर्ण डिक्ली करिद निर्विक अलग से दिने कया जाकर शामिल फाइल किया जाके पत्रावली नम्बर के क्रम की जाकर कड तारीख तक्ररील जाकर दाखिल हकतर हो।</p>	<p>काशीराम जिला</p>



डिक्री बमुकदमें ईव्तादाई
अ.आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रिया संहिता

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर

पीठासीन अधिकारी :- श्री संजय कुमार आर.ए.एस.

मुकदमा संख्या :-275/2024 अन्तर्गत धारा 88 आरटीएक्ट

बुधराम पुत्र काशी राम जाति मेघवाल निवासी न्योलखी तहसील पल्लू जिला हनुमानगढ़।

-वादी

बनाम

1. काशीराम पुत्र लाधूराम जाति मेघवाल निवासी न्योलखी तहसील पल्लू जिला हनुमानगढ़ राज0।
2. कालूराम पुत्र काशीराम जाति मेघवाल निवासी न्योलखी तहसील पल्लू जिला हनुमानगढ़ राज0।
3. प्रिता पुत्री काशीराम पत्नी आदराम जाति मेघवाल निवासी ढाणी चारनान, चक सरदारपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ राज0।
4. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये पेरोकार राज तहसीलदार (राजस्व) पल्लू तहसील पल्लू जिला हनुमानगढ़राज0।

-प्रतिवादीगण

उपस्थित:- श्री राकेशकुमार भाकर वकील-वादी

श्री कुलदीप बिश्नोई वकील प्रतिवादी सं. 1 ता 3

राजपेरोकार प्रतिवादी सं. 4

निर्णय दिनांक:- 13-08-2024

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ संजय कुमार आर.ए.एस. उपखण्डाधिकारी रावतसर के समक्ष उपरोक्त अभिभाषकगण की उपस्थिति में घोषणा की जाती है कि न्योलखी बारानी के खाता संख्या नया 32 पुराना 25 के खसरा संख्या 566 की 0.2150है0, खसरा संख्या 936/567 की 4.8480है0 कुल तादादी 5.0630है0 बारानी खातेदारी कृषि भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम कासीराम पुत्र लादुराम के स्थान पर काशीराम पुत्र लाधूराम दुरुस्त किया जाकर के वादी को 1.7710 है. व प्रतिवादी संख्या 1 को 1.5210 है. व प्रतिवादी संख्या 2 को 1.7710 है. भूमि के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जावे। खर्चा फरिक्केन अपना अपना वहन करेगें।

आज यह पर्चा डिक्री हमारे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 13-08-2024 को जारी की गई।

(संजय कुमार)

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
रावतसर

